अध्याय-I

परिचय

अध्याय-I
परिचय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत राज्य की सरकारी कम्पनियां तथा सांविधिक निगम सम्मिलित होते हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 31 मार्च 2014 तक निवेश ₹ 8,909.84 करोड़ था। क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सितम्बर 2014 तक अपने अद्यतन अंतिम रूप दिये गए वार्षिक लेखों के अनुसार ₹ 5,952.79 करोड़ **(परिशिष्ट 1.1)** की कुल बिक्री पूंजीबद्ध की। हिमाचल प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की मुख्य गतिविधियां ऊर्जा क्षेत्र में केन्द्रित हैं। राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 31 मार्च 2014 तक 34,992 कर्मचारियों को रोजगार दिया था **(परिशिष्ट 1.2)**।

1.2 31 मार्च 2014 तक 19 सरकारी कम्पनियां तथा दो सांविधिक निगम थे जिनमें से हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है (अप्रैल 1995)।

1.3 कोई भी कम्पनी वर्ष 2013-14 के दौरान सृजित/विलय अथवा बंद नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा अधिदेश

1.4 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के द्वारा संचालित की जाती है। धारा 617 के अनुसार सरकारी कम्पनी वह है जिसमें सरकार (सरकारों) की प्रदत्त पूंजी 51 *प्रतिशत* से कम नहीं होती। सरकारी कम्पनी में एक सहायक सरकारी कम्पनी सम्मिलित होती है। इसके अतिरिक्त, एक कम्पनी जिसमें प्रदत्त पूंजी का 51 *प्रतिशत* सरकार (सरकारों), सरकारी कम्पनियों तथा सरकार (सरकारों) द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा किसी भी संयोजन में लगा होता है, उसे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ख के अनुसार एक सरकारी कम्पनी (सरकारी कम्पनी के तुल्य) ही समझा जाता है।

1.5 राज्य सरकार की कम्पनियों के लेखों (जैसाकि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। ये लेखे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा की जाने वाली अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु भी बाध्य होते हैं।

1.6 सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बंधित विधानों के अंतर्गत की जाती है। दो सांविधिक निगमों में से हिमाचल पथ परिवहन निगम का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमेव लेखापरीक्षक है। हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के सम्बंध में लेखापरीक्षा सनदी लेखापालों द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.7 31 मार्च 2014 तक 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (619-ख कम्पनियों सहित) में निम्न **तालिका-1.1** में दिये गए विवरण के अनुसार ₹ 8,909.84 करोड़ का निवेश (पूंजी तथा दीर्घावधि ऋण) था।

तालिका-1.1

(राशि: ₹ करोड़)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	प्रकार	संख्या	पूंजी	ऋण	कुल
क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	सरकारी कम्पनियां[1]	17	2,330.92	5,664.02	7,994.94
	सांविधिक निगम[2]	2	640.91	195.20	836.11
	कुल	**19**	**2,971.83**	**5,859.22**	**8,831.05**
अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम[3]	सरकारी कम्पनियां	2[4]	18.64	60.15	78.79
	सांविधिक निगम	-	-	-	-
	कुल	**2**	**18.64**	**60.15**	**78.79**
	सकल योग	**21**	**2,990.47**	**5,919.37**	**8,909.84**

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निवेश की सारांशित स्थिति **परिशिष्ट-1.2** में वर्णित है।

1.8 31 मार्च 2014 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश का 99.12 *प्रतिशत* क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तथा शेष 0.88 *प्रतिशत* अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में था। कुल निवेश का 33.56 *प्रतिशत* पूंजी तथा 66.44 *प्रतिशत* दीर्घावधि ऋणों के रूप में सम्मिलित था। इक्विटी 2009-10 में ₹ 1,948.65 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 3,260.73 करोड़ हो गई किन्तु 2013-14 में ₹ 2,990.47 करोड़ तक घट गई तथा दीर्घावधि ऋण 2009-10 में ₹ 2,672.18 करोड़ से 2013-14 में ₹ 5,919.37 करोड़ बढ़ गए जैसाकि **चार्ट -1.1**

---

1 तीन 619-ख कम्पनियां (ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित) सम्मिलित हैं।

2 हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम।

3 अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वे हैं जिन्होंने अपने प्रचालनों को बंद कर रखा है।

4 एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड तथा हिमाचल वर्सटिड मिल्ज लिमिटेड।

में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.1

(₹ करोड़)

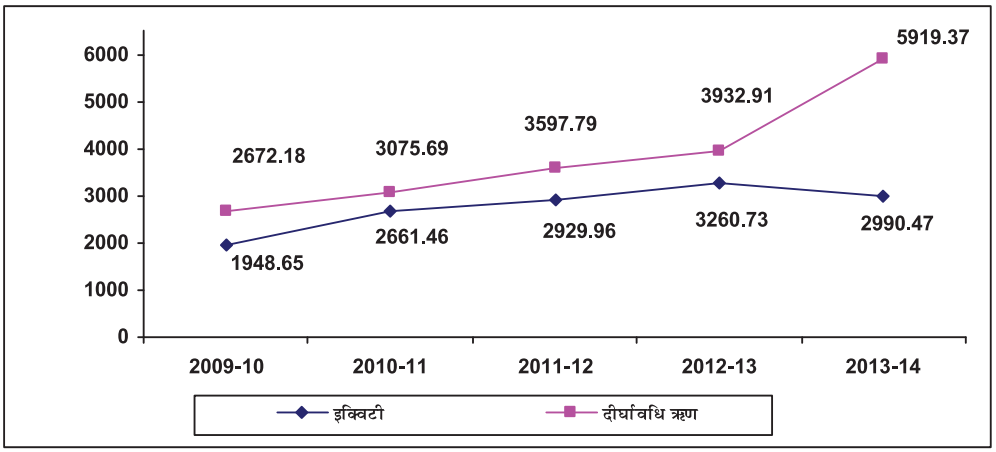

1.9 31 मार्च 2010 तथा 31 मार्च 2014 के अंत में विभिन्न महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनकी प्रतिशतता निम्नवत् दण्ड **चार्ट–1.2** में इंगित है।

चार्ट-1.2

(₹ करोड़)

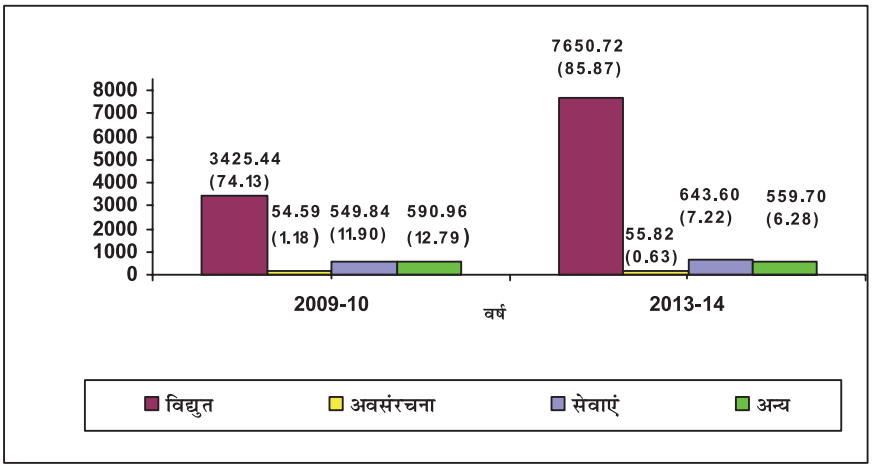

(कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े कुल निवेश की क्षेत्र प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

वर्ष 2009–14 के दौरान मुख्य निवेश विद्युत क्षेत्र में था। हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित में मुख्यतया निवेश में वृद्धि के कारण विद्युत क्षेत्र में कुल निवेश में निवेश की प्रतिशतता 2009–10 के 74.13 *प्रतिशत* से 2013–14 में 85.87 *प्रतिशत* बढ़ गई।

बजटीय निकास, अनुदान/इमदाद, गारंटियां एवं ऋण

1.10 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बंध में इक्विटी के प्रति बजटीय निकास, ऋणों, अनुदानों/इमदादों, जारी गारंटियों, बट्टे खाते में डाले गए ऋणों, इक्विटी में परिवर्तित किए

गए ऋणों तथा माफ किए गए ब्याज के ब्यौरे **परिशिष्ट-1.3** में दिये गये हैं। 31 मार्च 2014 को समाप्त विगत तीन वर्षों के सारांशित विवरण ***तालिका-1.2*** में दिये गए हैं।

तालिका-1.2

(राशि: ₹ करोड़)

क्रमांक	विवरण	2011-12		2012-13		2013-14	
		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि
1.	बजट से इक्विटी पूंजी का निकास	5	227.19	6	303.23	6	261.77
2.	बजट से दिये गए ऋण	-	-	1	5.00	1	49.20
3.	प्राप्त अनुदान/इमदाद	7	495.50	7	710.37	7	417.84
4.	कुल निकास (1+2+3)	10[5]	722.69	10[5]	1,018.60	9[5]	728.81
5.	इक्विटी में परिवर्तित ऋण	-	-	1	0.50	1	7.05[6]
6.	जारी की गई गारंटियां	6	1,278.60	7	1,567.31	9	2,332.54
7.	गारंटी प्रतिबद्धता	8	1,159.87	9	1,534.08	9	2,768.03
8.	गारंटी फीस	1	0.01	2	0.07	2	0.09

वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदान/इमदाद में कमी का मुख्य कारण हिमाचल प्रदेश सड़क तथा अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम के सम्बंध में अनुदान/इमदाद में कमी थी। इसके अतिरिक्त, 2013-14 के दौरान गारंटियों को जारी करने में वृद्धि मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश वित्त निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम के सम्बंध में ऋण गारंटियों के कारण थी।

1.11 विगत पांच वर्षों में इक्विटी, ऋणों तथा अनुदानों/इमदादों के प्रति बजटीय निकास के विवरण **चार्ट-1.3** में दिये गये हैं।

चार्ट-1.3

(₹ करोड़)

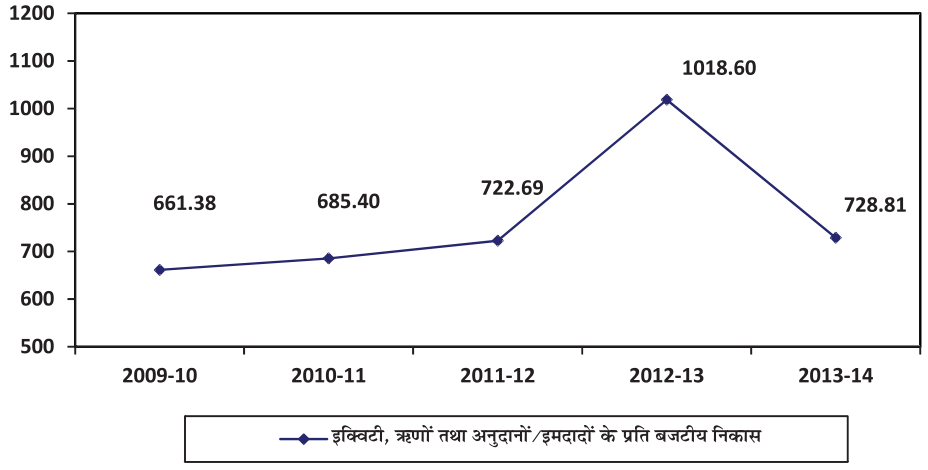

5 सम्बंधित वर्षों के दौरान राज्य सरकार से कम्पनियों/निगमों की वास्तविक संख्या को दर्शाता है जिन्होंने इक्विटी, ऋणों, अनुदानों तथा इमदादों के रूप में बजटीय समर्थन प्राप्त किया।

6 राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश एग्रो उद्योग निगम सीमित के सम्बंध में 2008-09 के दौरान ऋणों तथा ब्याज को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया था किन्तु कम्पनी ने 2013-14 के दौरान अंतिम रूप दिये गए वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक लेखों में अंश प्रयोज्य मुद्रा के रूप में इसे शामिल किया है।

2009-10 से 2013-14 वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा इक्विटी, ऋणों तथा अनुदानों/इमदादों के रूप में बजटीय सहयोग एक भिन्न प्रवृति को दर्शाता है। बजटीय निकास जो 2009-10 में ₹ 661.38 करोड़ पर स्थिर था, 2012-13 में ₹ 1,018.60 करोड़ बढ़ गया, किन्तु 2013-14 में ₹ 728.81 करोड़ तक घट गया। कमी का कारण मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अवसंरचना विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम को कम इक्विटी/ऋण तथा अनुदान/इमदाद था।

1.12 सरकार ने 2013-14 के दौरान नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्राप्त किये गए कुल ₹ 2,332.54 करोड़ के ऋण की गारंटी दी थी जैसाकि **परिशिष्ट-1.3** में दिया गया है। 2013-14 के अंत में 2012-13 के दौरान गारंटी प्रतिबद्धता ₹ 1,534.08 करोड़ (नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के प्रति ₹ 2,768.03 करोड़ (नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) थी। वृद्धि मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम के सम्बंध में गारंटी प्रतिबद्धता में हुई वृद्धि के कारण थी।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

1.13 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का विघटन

विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुवर्तन में हिमाचल प्रदेश सरकार ने तीन कम्पनियों अर्थात् एक उत्सर्जन उपकारिता हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित, एक संचरण उपकारिता हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित तथा एक वितरण उपकारिता हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित का क्रमश: दिसम्बर 2006, अगस्त 2008 तथा दिसम्बर 2009 में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का विघटन कर गठन किया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने तीनों कम्पनियों के मध्य परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण के लिए हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र सुधार हस्तांतरण स्कीम, 2010 (जून 2010) अधिसूचित की।

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित को हस्तांतरित की गई सभी परिसम्पत्तियां, सम्पत्तियां, सम्पत्तियों पर ब्याज तथा आकस्मिकताएं हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित में ही निहित रहेंगी। तथापि, वितरण गतिविधियों सहित 477.450 मेगा वाट की कुल उत्सर्जन प्रतिष्ठापन क्षमता वाली 21 जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा अनुरक्षित की जाऐंगी तथा केवल 986 मेगा वाट उत्सर्जन क्षमता वाली छ: नई जल विद्युत परियोजनाएं ही निर्माणार्थ हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित को हस्तांतरित की गई थी। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के पास प्रचालनाधीन 10 मेगा वाट क्षमता वाली एक परियोजना है तथा राज्य सरकार ने अप्रैल 2013 में निर्माणार्थ हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित को 70.50 मेगा वाट कुल प्रतिष्ठापन क्षमता वाली चार नई जल विद्युत परियोजनाएं भी आवंटित की हैं।

संचरण लाइनों से सम्बंधित (सभी परिसम्पत्तियां तथा देयताएं वितरण प्रणाली का महत्त्वपूर्ण भाग न होते हुए अथवा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के वर्तमान अथवा भविष्य के बिजली घर की अनावृत लाइनें) हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित के पास निहित/हस्तांतरित रहेंगी। तद्नुसार, 66 किलो वोल्ट तथा उससे ऊपर (278.860 सी के एम)की 14 वर्तमान संचरण लाइनें 2009-11 के दौरान हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित को हस्तांतरित की गई थी। अत: हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित अभी भी वितरण गतिविधियों के साथ-साथ पूर्वोक्त 14

संचरण लाइनों को छोड़कर सारा अपना वर्तमान का उत्सर्जन तथा संचरण नेटवर्क प्रबंधित/ प्रचालित कर रहा है, इसलिए बोर्ड के विघटन का परम उद्देश्य सही अर्थों में जैसी विद्युत अधिनियम, 2003 में परिकल्पित था, प्राप्त नहीं हुआ है।

1.14 वित्तीय पुनर्संरचना योजना का कार्यान्वयन

अक्तूबर, 2012 में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऋण ग्रस्त राज्य वितरण कम्पनियों के लिए उनके ऋण की पुनर्संरचना द्वारा उनके वित्तीय परिवर्तन को शुलभ करने के लिए एक वित्तीय पुनर्संरचना योजना अधिसूचित की थी।

स्कीम 31.03.2012 तक वितरण कम्पनियों की समेकित हानियों के सम्बंध में वितरण कम्पनियों की शेष लघु अवधि वाली देयताओं (शेष लघु अवधि के ऋणों तथा विद्युत क्रय के लिए अदायगी योग्य के आधार पर) को अन्य बातों के साथ-साथ 50 *प्रतिशत* आवृत करती है। यह सर्वप्रथम वितरण कम्पनियों द्वारा प्रतिभागी ऋण दाताओं को राज्य सरकार की गारंटी द्वारा यथावत जारी किये जाने वाले बंद पत्रों में परिवर्तित किया जाना था। उपलब्ध राजकोषीय अंतराल को ध्यान में रखते हुए एक पूर्वबद्ध तरीके से प्रतिभागी ऋणदाताओं के पक्ष में विशेष प्रतिभूतियों के जारीकरण द्वारा आगामी 2-5 वर्षों के दौरान सरकार को देयताओं का उत्तरदायित्व लेना था। मूलधन पर तीन वर्ष की विलम्ब अवधि सहित ऋणदाताओं द्वारा अल्पावधि दायिताओं के 50 *प्रतिशत* शेष का पुनर्निधारण तथा राज्य सरकार की गारंटियों द्वारा पूर्णत: प्रत्याभूत मूलधन तथा ब्याज का पुनर्भुगतान किया जाना है।

वित्तीय पुनर्संरचना योजना के अनुसार ऋण की पुनर्संरचना की संदर्भित तिथि 31.03.2012 थी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि उद्देश्यार्थ संदर्भ तिथि 31.07.2013 मान ली गई थी। यह भारत सरकार की नियमावलियों का उल्लंघन था तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि को अनुमत नहीं किया गया था।

स्कीम के अनुसार पुनर्संरचना की जाने वाली राशि 31.03.2012 तक अल्पावधि दायिताओं के 50 *प्रतिशत* से सीमित तथा 31.03.2012 तक समेकित हानियों की राशि से सीमित था। क्योंकि 31.03.2012 तक समेकित हानियां ₹ 1,398.35 करोड़ थी, पुनर्संरचना की जाने वाली अल्पावधि दायिताओं की राशि ₹ 1,398.35 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, कम्पनी को राज्य सरकार ने अनुमत कर दिया, वित्तीय पुरर्संरचना योजना के अंतर्गत ₹ 1,462.50 करोड़, इस राशि का 50 *प्रतिशत* (₹ 731.25 करोड़) आरम्भ में कम्पनी द्वारा बंधपत्रों के रूप में जारी किया जाना था जिसका प्रतिभागी ऋणदाताओं के पक्ष में विशेष प्रतिभूति के जारीकरण द्वारा 2 से पांच वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा उत्तरदायित्व लिया जाना चाहिए था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि राज्य सरकार ने केवल ₹ 564.25 करोड़ के बंधपत्रों को जारी करने का अनुमोदन दिया जिसमें से निर्धारित तिथि तक ₹ 265.29 करोड़ मूल्य के बंधपत्र जारी किये। अत: कम्पनी को ₹ 429.27 करोड़ की (₹ 1,462.50-₹ 767.94-₹ 265.29) अभी भी पुनर्संरचना करनी है। ₹ 731.25 करोड़ की राशि के प्रति, ₹ 1,462.50 करोड़ का 50 *प्रतिशत,* कम्पनी ने ₹ 767.94 करोड़ की राशि के लिए बैंक से ऋणों की पुनर्संरचना की थी।

लेखापरीक्षा में आगे यह पाया गया था कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अग्रिम दिये गए उपदान के भुगतान के सम्बंध में निरंतर चूककर्त्ताओं के भवनों में पूर्वभुगतान किये जाने वाले मीटरों का प्रतिष्ठापन करने तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों

के संरेखण में लेखों (वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए लेखे अभी तैयार किये जाने थे) को तैयार करने की अनिवार्य शर्तों का आज्ञापालन नहीं किया गया है (नवम्बर 2014)। टैरिफ आदेश प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल तक अधिसूचित किया जाना अपेक्षित था। तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के लिए टैरिफ आदेश क्रमश: मई 2013 तथा जून 2014 में जारी किये गए थे।

अत: यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कम्पनी ने भारत सरकार द्वारा अनुमत स्कीम के अनुसार वित्तीय पुनर्संरचना योजना को संचालित नहीं किया था तथा परिणामस्वरूप स्कीम में प्रावधान किये गए प्रणोदनों की प्राप्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त वित्तीय संतुलन लाने तथा वितरण कम्पनियों के कार्यचालन के लिए वाणिज्यिक निर्धारण के लिए स्कीम के बताए गए उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2014) कि 31 मार्च 2013 तक बकाया तकरीबन अल्पावधि दायिताओं का कम्पनी द्वारा पुनर्भुगतान किया गया था, इसलिए 31 जुलाई 2013 तक बकाया अल्पावधि दायिताओं को पुनर्संरचना के लिए लिया गया था। अगस्त 2014 तक ₹ 1,462.50 करोड़ की अनुमोदित राशि में से ₹ 1,033.23 करोड़ के ऋणों की बंधपत्रों के रूप में पुनर्संरचना/परिवर्तन किया गया है तथा बैंकों से नए ऋण प्राप्त किये गए हैं। तथ्य यह है कि वित्तीय पुनर्संरचना योजना भारत सरकार की स्कीम के अनुसार नहीं है तथा अनिवार्य शर्तों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है।

सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

1.15 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋणों तथा गारंटियों से सम्बंधित आंकड़े सरकार के वित्त लेखों में आने वाले आंकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आंकड़े नहीं मिलते हैं तो सम्बंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्त विभाग को भिन्नताओं का मिलान करना चाहिए। इस सम्बंध में 31 मार्च 2014 की स्थिति ***तालिका-1.3*** में इंगित है।

तालिका-1.3

(राशि: ₹ करोड़)

से सम्बंधित बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि	भिन्नता
इक्विटी	1,830.50	1,897.86	(-)67.36
ऋण	-[7]	1,759.18	-
गारंटियां	2,755.12	2,768.03	(-)12.91

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षण किया कि आठ[8] सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बंध में ₹ 67.36 करोड़ की भिन्नता आई। तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त तथा विकास निगम तथा हिमाचल वित्त

---

7 2013-14 के लिए वित्त लेखों में बकाया ऋण का सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों वार विवरण शामिल नहीं है।

8 हिमाचल प्रदेश एग्रो उद्योग निगम, हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम, हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित , हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित, हिमाचल प्रदेश वित्त निगम

निगम सीमित के सम्बंध में भी गारंटियों में भिन्नता प्रेक्षित की गई थी। सम्बंधित प्रशासनिक विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्त विभागों से भिन्नताएं मिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक तिमाही में निवेदन किया गया था।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1.16 19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों[9] जिनके अद्यतन लेखों को 30 सितम्बर 2014 तक अंतिम रूप दिया गया था, में से नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 23.62 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा छः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 646.37 करोड़ की हानि उठाई। तीन[10] क्रियाशील सरकारी कम्पनियों ने अपने लाभ तथा हानि के लेखे नहीं बनाए जबकि एक सरकारी क्रियाशील कम्पनी अर्थात् (हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित) के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा आय से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति की जानी है। लाभ में अंशदान मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित (₹ 6.53 करोड़), हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित (₹ 3.89 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित (₹ 3.66 करोड़) का रहा। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (₹ 512.76 करोड़), हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (₹ 110.95 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश वित्त निगम (₹ 16.49 करोड़) द्वारा भारी हानियां उठाई गई। इसके अतिरिक्त, 30 सितम्बर 2014 को अंतिम रूप दिए गए लेखों के वर्ष हेतु सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के निवल लाभ/हानि, कुल बिक्री, पूंजी नियोजित प्रतिफल, आदि, सहित सारांशित वित्तीय परिणामों को **परिशिष्ट-1.1** में दिया गया है।

1.17 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के नवीनतम तीन वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 2,053.29 करोड़ का नियंत्रण योग्य/ परिहार्य निवेश किया, ₹ 128.82 करोड़ व्यय जो वसूलने योग्य नहीं था तथा ₹ 2.42 करोड़ का निष्फल निवेश जो बेहतर प्रबंधन से नियंत्रण योग्य था। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से वर्षवार विवरण ***तालिका 1.4*** में नीचे दिये गए हैं।

तालिका-1.4

(राशि: ₹ करोड़)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	योग
वसूल न किया जाने वाला व्यय	10.05	95.01	23.76	128.82
नियंत्रण योग्य/परिहार्य व्यय	1,323.52	318.72	411.05	2,053.29
निष्फल निवेश	1.91	0.51	-	2.42
योग	**1,335.48**	**414.24**	**434.81**	**2,184.53**

1.18 राज्य सरकार ने लाभांश नीति को सूत्रबद्ध (अप्रैल 2011) किया जिसके अंतर्गत सभी लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (जो कल्याण तथा उपकारिता क्षेत्र में हैं को छोड़कर) के

9 वर्ष 2010-11 के लिए (दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), 2011-12 (चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), 2012-13 (नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) तथा 2013-14 (चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

10 ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित

लिए सरकारी इक्विटी पर, इस शर्त पर की कर के बाद लाभ की 50 *प्रतिशत* की सीलिंग हो, पांच *प्रतिशत* की दर पर एक प्रत्यावर्तन का भुगतान करना अपेक्षित है। उनके नवीनतम अंतिम रूप दिये गए लेखों के अनुसार, नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 23.62 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया जिसमें से केवल एक कम्पनी अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित ने अपने भुगतान की गई पूंजी (₹ 30.82 करोड़) के 5 *प्रतिशत* की दर पर ₹ 1.54 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया।

लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया

1.19 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 तथा 619-ख के अंतर्गत प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के अंत से छ: महीने के भीतर कम्पनियों के लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप दिये जाने अपेक्षित हैं। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के मामले में उनसे सम्बंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार उनके लेखों को अंतिम रूप दिया जाता है, उनकी लेखापरीक्षा की जाती है तथा विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सम्बंधित वर्ष के सितम्बर तक लेखों को अंतिम रूप दिए जाने की प्रगति का विवरण ***तालिका-1.5*** में दिया गया है।

तालिका-1.5

क्रमांक	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	21	19	19	19	19
2.	वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिये गए लेखों की संख्या	22	21	15	15	16
3.	बकाया में लेखों की संख्या	14	12	16	20	23
4.	प्रति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का औसत बकाया (3/1)	0.67	0.63	0.84	1.05	1.21
5.	बकाया लेखों सहित क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	12	10	10	12	15
6.	बकाया की सीमा	1 से 2 वर्ष	1 से 2 वर्ष	1 से 2 वर्ष	1 से 3 वर्ष	1 से 3 वर्ष

1.20 प्रत्येक क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लेखों की औसत संख्या 2009-10 में 0.67 से घटकर 2010-11 में 0.63 रह गई किन्तु पुन: 2011-12 में 0.84 से बढ़कर 2013-14 में 1.21 हो गई। बकाया लेखों वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संग्रह की शीघ्र समाशोधन तथा 2013-14 तक के लेखों को अंतिम रूप देने हेतु प्रभावशाली उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

1.21 दो अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से हिमाचल वर्सटिड मिल्ज लिमिटेड परिसमापन प्रक्रिया के अंतर्गत तथा एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड ने अपने लेखों को अंतिम रूप देते हुए अद्यतन कर लिया था।

1.22 राज्य सरकार ने उन वर्षों के दौरान जिनमें लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, जैसा कि **परिशिष्ट 1.4** में वर्णित है, नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 363.81 करोड़

(इक्विटी: ₹ 133.79 करोड़, ऋण: ₹ 49.20 करोड़ तथा अनुदान: ₹ 180.82 करोड़) का निवेश किया था। लेखों की अनुपलब्धता एवं उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि क्या किया गया निवेश तथा व्यय उचित ढंग से लेखाबद्ध कर लिया गया है और जिस प्रयोजन हेतु निवेश किया गया था उसे प्राप्त कर लिया गया है अथवा नहीं। अत:, ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार द्वारा किया गया निवेश राज्य विधान सभा की समीक्षा से बाहर रहता है।

1.23 प्रशासकीय विभागों पर इन इकाइयों के कार्यकलापों की निगरानी करने तथा निर्धारित समयावधि के भीतर इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों को अंतिम रूप दिया जाना तथा उन्हें अपनाया गया को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व है। यद्यपि सम्बंधित प्रशासकीय विभागों को लेखापरीक्षा द्वारा लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया रहे मामलों के बारे में प्रत्येक तिमाही में सूचित किया गया था, तथापि सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए। इसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवल मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सका। लेखों के बकाया के संग्रह को समयबद्ध ढंग से शीघ्रतापूर्वक निपटाने हेतु लेखों के बकाया का मामला मुख्य सचिव/निदेशक, संस्थागत वित्त एवं लोक उद्यम के साथ भी उठाया गया था (अक्तूबर 2014)।

अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का समापन

1.24 31 मार्च 2014 तक दो अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सभी कम्पनियां) थे। अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बंध में बंद किए जाने के चरणों को ***तालिका-1.6*** में दिया गया है।

तालिका-1.6

क्रमांक	विवरण	कम्पनीयां
1.	अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	2[11]
2.	उपरोक्त (1) के अंतर्गत संख्या:	
	(क) न्यायालय द्वारा परिसमापन (परिसमापक नियुक्त किया गया)	-
	(ख) स्वैच्छिक परिसमापन (परिसमापक नियुक्त किया गया)	1
	(ग) समापन, अर्थात समापन आदेश/अनुदेश जारी किए गए किन्तु परिसमापन प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ नहीं की गई।	1

इनमें से हिमाचल वर्सटिड मिल्ज लिमिटेड ने परिसमापन प्रक्रिया आरम्भ कर दी है।

लेखा टिप्पणियां

1.25 पंद्रह क्रियाशील कम्पनियों ने अक्तूबर 2013 से सितम्बर 2014 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा को अपने 16 लेखे अग्रेषित किए थे। इनमें से 13 क्रियाशील कम्पनियों के 14 लेखे

[11] एग्रो इण्डस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड तथा हिमाचल वर्सटिड मिल्ज लिमिटेड

अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किए गए थे। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के सकल धन मूल्य का विवरण ***तालिका-1.7*** में दिया गया है।

तालिका-1.7

(राशि: ₹ करोड़)

क्रमांक	विवरण	2011-12		2012-13		2013-14	
		लेखा की संख्या	राशि	लेखा की संख्या	राशि	लेखा की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	2	56.40	3	32.81	5	92.42
2	हानि में वृद्धि	3	12.49	2	370.13	4	636.59
3.	हानि में कमी	-	-	1	0.63	-	-
4	लाभ में वृद्धि	-	-	2	1.06	1	0.85
	योग	**5**	**68.89**	**8**	**404.63**	**10**	**729.86**

यह देखा जा सकता है कि 'लाभ/हानि में वृद्धि' अथवा 'लाभ/हानि में कमी' करने वाले प्रत्येक लेखा की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का औसत प्रभाव ₹ 13.78 करोड़ (2011-12) से बढ़कर ₹ 72.99 करोड़ (2013-14) हो गया। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अनुपूरक लेखापरीक्षा यह इंगित करती है कि लेखों के अनुरक्षण की गुणवत्ता को व्यापक रूप से सुधारने की आवश्यकता है।

1.26 वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 15 लेखों के सम्बंध में योग्यता प्रमाणपत्र दिए थे। इनमें से सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा छः लेखों के सम्बंध में प्रतिकूल प्रमाणपत्र (जिसका अर्थ है कि लेखे स्पष्ट तथा सही स्थिति नहीं दर्शाते) दिए गये थे। कम्पनियों की लेखाकरण मानकों के प्रति अनुपालना असंतोषजनक रही, क्योंकि अक्तूबर 2013 से सितम्बर 2014 की अवधि के दौरान आठ वार्षिक लेखों में अनुपालना न किए जाने के 59 उदाहरण थे।

1.27 अक्तूबर 2013 से सितम्बर 2014 की अवधि के दौरान अंतिम रूप दिये गए कम्पनियों के वार्षिक लेखों से सम्बंधित कुछ महत्त्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे बताई गई हैं:

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित (2010-11)

- वन कार्य मण्डल, शिमला के सम्बंध में वर्ष 2011-12 के लिए 13 टिम्बर लाट्स की रायल्टी के रूप में ₹ 2.54 करोड़ कार्य प्रगति में शामिल हैं। इन लाट्स की गणना 2010-11 के बजाए 2011-12 के दौरान की जानी चाहिए थी।

- जीर्णशीर्ण/खोखले पेड़ जिनसे टिम्बर का उद्धरण नहीं किया जा सकता था के मूल्य को दर्शाने वाली ₹ 2.40 करोड़ की राशि भी कार्य प्रगति में शामिल है। इन जीर्णशीर्ण/खोखले पेड़ों का

मूल्य राज्य सरकार को अदा की जाने वाली रायल्टी के प्रति समायोजित किया जाना था। गैर-समायोजन का परिणाम चालू परिसम्पत्तियों-कार्य प्रगति पर के साथ-साथ चालू देयताओं-विविध ऋणदाताओं की अत्योक्ति के रूप में हुआ है।

- विविध ऋणदाताओं ने देय तिथियों पर रायल्टी के भुगतान न किये जाने के कारण वन विभाग को भुगतान योग्य ब्याज वाली ₹ 2.91 करोड़ की राशि को शामिल नहीं किया है।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (2011-12)

- हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित (₹ 11.71 करोड़) तथा भारतीय विद्युत ग्रिड निगम सीमित (₹ 4.37 करोड़) को व्यापार भुगतान योग्य संचरण प्रभारों के आधार पर ₹ 16.08 करोड़ भी भुगतान योग्य व्यापार में सम्मिलित नहीं है, तथा
- राष्ट्रीय जल विद्युत निगम सीमित से विद्युत के क्रय के आधार पर ₹ 16.39 करोड़।
- विद्युत व्यापार निगम को दिये गए ऊर्जा बिलों के भुगतान में विलम्ब पर भुगतान योग्य ₹ 1.36 करोड़ अन्य चालू देयताओं में सम्मिलित नहीं हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित (2012-13)

- 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान सेवानिवृति पर कम्पनी के कर्मचारियों को अदा किए गए उपदान के आधार पर जीवन बीमा निगम से वसूलने योग्य ₹ 85.32 लाख की राशि अन्य अप्रचलित परिसम्पत्तियों में सम्मिलित नहीं है।
- कोलतार की आपूर्ति के लिए भारतीय तेल निगम को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किए अग्रिम भुगतान वाली ₹ 11.43 करोड़ की राशि आपूर्ति के लिए विविध ऋणदाताओं के पास निहित है। कम्पनी ने इस राशि को लेखों में अन्य वसूलने योग्य अग्रिमों तथा लघु अवधि के ऋणों के सम्बंधित व्यकलन सहित आपूर्ति के लिए विविध ऋणदाताओं को भुगतान योग्य व्यापार शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया है। इसके परिणामस्वरूप आपूर्तियों के लिए विविध ऋणदाताओं को भुगतान योग्य व्यापार के साथ-साथ ₹ 11.43 करोड़ तक के अन्य वसूली योग्य ऋण व अग्रिमों की अत्योक्ति हुई।

1.28 इसी तरह दो क्रियाशील सांविधिक निगमों में से, हिमाचल प्रदेश वित्त निगम ने अक्तूबर 2013 से सितम्बर 2014 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा को वर्ष 2013-14 के लिए अपने लेखे अग्रेषित किये तथा उसी अवधि के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम (2012-13) के सम्बंध में एक लेखे को अंतिम रूप दिया गया था। इनमें से एक सांविधिक निगम (हिमाचल पथ परिवहन निगम) का एक लेखा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई एकमेव लेखापरीक्षा से सम्बंधित है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई एकमेव/अनुपूरक लेखापरीक्षा तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दर्शाते हैं कि लेखों के अनुरक्षण की गुणवत्ता को महत्त्वपूर्ण रूप से सुधारने

की आवश्यकता है। सांविधिक निगमों के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों का सकल मुद्रा मूल्य विवरण ***तालिका-1.8*** में दिया गया है।

तालिका-1.8

(मोद्रिक मूल्य: ₹करोड़)

क्रमांक	हानि में वृद्धि	2011-12		2012-13		2013-14	
		लेखों की संख्या	मुद्रा मूल्य	लेखों की संख्या	मुद्रा मूल्य	लेखों की संख्या	मुद्रा मूल्य
1.	सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां	-	-	-	-	1	-
2.	नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	1	2.74	2	70.32	2	0.47
	कुल	**1**	**2.74**	**2**	**70.32**	**3**	**0.47**

लेखापरीक्षा टिप्पणियों का मुख्य प्रभाव 2011-12 के दौरान हिमाचल प्रदेश वित्त निगम तथा 2012-13 के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम से सम्बंधित था।

1.29 अक्तूबर 2013 से सितम्बर 2014 तक वर्ष 2013-14 के लिए हिमाचल प्रदेश वित्त निगम तथा वर्ष 2012-13 के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के लेखों की लेखापरीक्षा पूर्ण कर ली गई थी। इन सांविधिक निगमों के लेखों से सम्बंधित कुछ महत्त्वपूर्ण टिप्पणियां निम्नलिखित हैं:

हिमाचल पथ परिवहन निगम (2012-13)

- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत प्रचालित बसों के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा छूट स्वीकृत करने के बावजूद यात्रियों से वसूल हिमाचल प्रदेश विशेष पथ कर वाले ₹ 2.12 करोड़ चालू देयताओं में सम्मिलित नहीं हैं।

हिमाचल प्रदेश वित्त निगम (2013-14)

- हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निगम के माध्यम से हिमाचल पथ परिवहन निगम को अदा की गई शेयर प्रयुक्ति मुद्रा में ₹ 3.00 करोड़ की राशि इमदाद के रूप में सम्मिलित है। इसे इमदाद के बजाए निवेश मानने के परिणामस्वरूप दोनो शेयर प्रयोज्य मुद्रा तथा निवेश में अत्योक्ति हुई।

आंतरिक नियंत्रण/आंतरिक लेखापरीक्षा

1.30 सांविधिक लेखापरीक्षकों (सनदी लेखापालों) को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (क) के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उन्हें जारी किये गए निदेशों के अनुसार लेखापरीक्षित कम्पनियों में आंतरिक नियंत्रण/आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धतियों सहित विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत प्रतिवेदन भेजना तथा उन क्षेत्रों की पहचान करना, जहां सुधार की आवश्यकता हो, अपेक्षित है। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2010-11[12] के लिए एक कम्पनी, 2011-12[13] के

[12] **परिशिष्ट 1.1** की क्रम संख्या 6

[13] **परिशिष्ट 1.1** की क्रम संख्या 1,3,5 तथा 13

लिए चार कम्पनियों, वर्ष 2012-13 के लिए सात कम्पनियों[14] तथा वर्ष 2013-14 के लिए तीन कम्पनियों[15] की आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण तंत्र में सम्भावित सुधार पर की गई टिप्पणियों के निदिर्शी सारांश का विवरण **परिशिष्ट-1.5** में दिया गया है। यह दर्शाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेहतर परिणामों के लिए व्यापार की प्रकृति एवं आकार, सेवानिवृति देय राशि के प्रावधान हेतु उपयुक्त प्रणालियां बनाने, वस्तुसूची प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी के आरम्भ आदि की समानुपातिकता में अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणालियों में सुधार करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां

1.31 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लेखों की नमूना जांच की अवधि में ध्यान में आई वसूलियों से अंतर्ग्रस्त लेखापरीक्षा निष्कर्षों को आगामी जांच हेतु लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सरकार को संदर्भित किया गया था और अधिक भुगतान/अतिरिक्त भुगतान के मामले में इसकी वसूली लेखापरीक्षा को सूचनाधीन थी।

वर्ष 2013-14 में लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ₹ 63.41 करोड़ की वसूलियां विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन को इंगित की गई थी जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने स्वीकार कर लिया था। इसके प्रति वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 5.30 करोड़ की राशि वसूल की गई थी।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सामग्री के प्रति विभाग की प्रतिक्रिया

1.32 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन हेतु ₹ 401.38 करोड़ से अंतर्ग्रस्त एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹ 33.43 करोड़ से अंतर्ग्रस्त 10 लेखापरीक्षा परिच्छेद सम्बंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों को छः सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किये गए थे। तथापि, निष्पादन लेखापरीक्षा और ₹ 4.07 करोड़ के मुद्रा मूल्य से अंतर्ग्रस्त चार लेनदेन लेखापरीक्षा परिच्छेदों से सम्बंधित उत्तर राज्य सरकार से प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुपालना

व्याख्यात्मक बकाया टिप्पणियां

1.33 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में अनुरक्षित लेखों और अभिलेखों के प्रारम्भिक निरीक्षण के साथ आरम्भ की जाने वाली संवीक्षा की प्रक्रिया की पराकाष्ठा दर्शाते हैं। इसलिये, यह आवश्यक है कि वे कार्यपालक से उपयुक्त और समयबद्ध प्रतिक्रिया प्राप्त करें। राज्य के वित्त विभाग ने समस्त प्रशासकीय विभागों की सार्वजनिक उपक्रमों की समिति से किसी सूचना अथवा बुलावे की प्रतीक्षा किये बिना लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधान सभा में उनके प्रस्तुत करने के तीन महीनों के भीतर इनमें सम्मिलित परिच्छेदों

---

14 **परिशिष्ट 1.1** की क्रम संख्या 2,8,11,12,14,16 तथा 17

15 **परिशिष्ट 1.1** की क्रम संख्या 7,10 तथा 15

और निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर लिए गए अथवा लेने के लिए प्रस्तावित सुधारात्मक/प्रतिकारी कार्रवाई दर्शाने वाली व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करने के अनुदेश जारी किये थे (फरवरी 1994)।

यद्यपि वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के समक्ष क्रमश: अप्रैल 2013 तथा फरवरी 2014 में प्रस्तुत किये गए थे, तथापि, चार विभागों ने 30 सितम्बर 2014 तक 28 परिच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से 19 की व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की थी जैसाकि ***तालिका 1.9*** में इंगित किया गया है।

तालिका-1.9

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (आर्थिक क्षेत्र) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल परिच्छेद/निष्पादन लेखापरीक्षाएं	परिच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी
2011-12	अप्रैल 2013	14	6
2012-13	फरवरी 2014	14	13
कुल		**28**	**19**

विभागवार विश्लेषण ***तालिका 1.10*** में दिया गया है।

तालिका-1.10

विभाग का नाम	2011-12	2012-13
विद्युत	5	7
खाद्य एवं आपूर्ति	1	1
वन	-	4
उद्योग	-	1
कुल	**6**	**13**

व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत न करने हेतु अधिकांशत: विद्युत विभाग उत्तरदायी था, क्योंकि इसने 19 परिच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से 12 की व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की थी।

सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति के प्रतिवेदनों की अनुपालना

प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण से छ: महीनों के भीतर सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियां भेजना अपेक्षित है। अगस्त 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति के 9 प्रतिवेदनों से सम्बंधित 14 परिच्छेदों के उत्तर सितम्बर 2014 तक प्राप्त नहीं हुए थे जैसाकि ***तालिका 1.11*** में इंगित है।

तालिका-1.11

सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति का प्रतिवेदन वर्ष	अंतर्ग्रस्त प्रतिवेदनों की कुल संख्या	परिच्छेदों की संख्या जहां उत्तर प्राप्त नहीं हुए
2013-14 (30.09.2014 तक)	**9**	**14**
कुल	**9**	**14**

निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप परिच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा के दौरान किये गए तथा कार्यस्थल पर बिना निपटान के लेखापरीक्षा प्रेक्षण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों तथा राज्य सरकार के सम्बंधित विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रेषित किये गए थे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर चार सप्ताह की अवधि में सम्बंधित विभागाध्यक्षों के माध्यम से प्रेषित किये जाने थे। 20 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित मार्च 2014 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से उद्घाटित हुआ कि 1,054 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बंधित 4,522 परिच्छेद 30 सितम्बर 2014 की समाप्ति तक बकाया रहे थे। 30 सितम्बर 2014 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का विभागवार विघटन **परिशिष्ट–1.6** में दिया गया है।

इसी तरह से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा प्रारूप परिच्छेदों को सम्बंधित प्रशासकीय विभाग के सचिव को अर्धशासकीय रूप से छः सप्ताह की अवधि के भीतर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि और उन पर टिप्णियां करने के लिए अग्रेषित किया जाता है। तथापि, चार विभागों को अप्रैल 2014 तथा अगस्त 2014 के मध्य अग्रेषित एक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा चार प्रारूप परिच्छेदों के उत्तर अभी तक नहीं दिये गए थे (नवम्बर 2014)।

यह भी सिफारिश की गई है कि सरकार सुनिश्चित करें (क) सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति की सिफारिश पर निर्धारित समयसूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप परिच्छेदों/ टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई के उत्तर भेजना, (ख) निर्धारित समयसूची के भीतर हानि/बकाया अग्रिमों/अधिक अदायगियों की वसूली तथा (ग) लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर प्रतिक्रिया की प्रणाली का जीर्णोद्धार।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की प्रास्थिति

1.34 2012–13 तक की अवधि के लिए दो सांविधिक निगमों के लेखों पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किये गए हैं (दिसम्बर 2013)।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन

1.35 वर्ष 2013–14 के दौरान सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों में विनिवेश और निजीकरण का कोई मामला नहीं था। राज्य सरकार ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवेशार्थ कोई योजना नहीं बनाई गई थी।

इस प्रतिवेदन की व्याप्ति

1.36 इस प्रतिवेदन में 10 परिच्छेद तथा ₹ 434.81 करोड़ के एक वित्तीय प्रभाव से अंतर्विष्ट 'सावड़ा कुड्डु' जल विद्युत परियोजना (हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित द्वारा प्रचालित) पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा निहित है।